न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2026

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर हाल कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)
–प्रार्थी

बनाम

1. हजारी पुत्र हरीराम गुर्जर (फौत)
   1/1. सचिन पुत्र स्व0 हजारी।
   1/2. देवाराम पुत्र स्व0 हजारी।
   1/3. सुमन पुत्री स्व0 हजारी।
   1/4. कल्लीबाई पुत्र स्व0 हजारी।
   1/5. पतासी पत्नि स्व0 हजारी।
   समस्त जाति गुर्जर निवासी नौरंगपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़।
–अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 **LR Act** 1956

निर्णय

दिनांक 15/5/26

1. तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किये जाने पर कि आराजी हाल खसरा नम्बर 502/693 वाके मौजा नौरंगपुरा तहसील कोटपूतली जिसके साबिक खसरा नम्बर 307 वाके मौजा नौरंगपुरा तहसील कोटपूतली की आराजी राजकीय सिवायचक/भूमि है, एवं भूमि की किस्म गै0 मु0 नदी है।
2. उपरोक्त आराजी को तत्कालिक राजस्व अधिकारी महोदय कोटपूतली के द्वारा विधि विरूद्व जाकर अप्रार्थीगण को उक्त गै0 मु0 नदी/नाला/तालाब की भूमि का आवंटन कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि को किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है।
3. प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार हाल व साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन करने से हुई।
4. उपरोक्त भूमि आराजी गैर मुमकिन नदी/नाला/तालाब की भूमि है एवं जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक प्रदान नही दिये जा सकते है अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में दी गई खातेदारी कानूनन गलत हैं एवं निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

5. अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एलआर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 502/693 वाके मौजा नौरंगपुरा तहसील कोटपूतली में से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक/गै0म0 नदी किये जाने के आदेश फरमावे।
6. प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.4.2007 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किये जाने का निर्णय लिया जाकर माननीय राजस्व मण्डल में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 12.10.2017 में आदेश पारित किये है कि पूर्ण दस्तावेजात के साथ एक माह की अवधि में पुनः रेफरेन्स प्रकरण बनाकर भिजवाये। माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेफरेन्स प्रकरण की पूर्ति हेतु पत्रावली को तहसीलदार को भिजवाई गई। पत्रावली वापस प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्डर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी बावजूद रजिस्डर्ड तामिल उपस्थित नही आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नौरंगपुरा का खसरा नम्बर 502/693 साबिक खसरा नम्बर 307 रकबा 1.00 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय हजारी पुत्र हरीराम गुर्जर के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। भूमि पर फसल काश्त की जारही है। अप्रार्थी हजारी पुत्र हरीराम गुर्जर की मृत्यु हो चुकी है। उक्त खसरा नम्बर 502/693 साबिक खसरा नम्बर 307 का आंवटन कैम्प राजस्व अभियान अलाटमेंट दिनांक 03.06.92 में आदेश क्रमांक भू.अ./92/1599 दिनांक 07.06.1992 से किया गया था तथा नामान्तकरण सख्या 70 के द्वारा अप्रार्थी हजारी के नाम तस्दीक किया गया। जमाबंदी सम्वत 2048 से 2051 में अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई है जबकि खेवट जमाबन्दी सम्वत 2005 में उक्त साबिक खसरा नम्बर की भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी दर्ज है जो कि कृषि योग्य भूमि नही है ना ही आवंटन किये जाने योग्य है। नदी/नाला/तालाब की भूमि को धारा 16 आ.टी. एक्ट के तहत किसी खातेदार को आवंटन किया जाना अवैध है और ना ही इसका नियमन किया जाकर किसी को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अब्दुल रहमान बनाम स्ट्रेट ऑफ राजस्थान में अपने निर्णय में यह स्पष्ट आदेश के साथ निर्देश दिये है कि ऐसे सभी आवंटन/नियमन से या नियमन से पूर्व की भॉति पुनः राजकीय खाते में गैर मुमकिन जोहड़, नदी, नाला, तालाब दर्ज किया जावें। इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में रेफरेन्स पेश किया गया है जिसे स्वीकार किया जावें।
7. पत्रावली पर उपलब्ध पुराने व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी सम्वत 2005 के इंद्राजात तथा प्रार्थी सरकार के कथनो पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2005 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 307 रकबा 1.00 हैक्टयर नदी पेटे की भूमि है। जमाबंदी सम्वत् 2048 से 2051 में दर्ज अलाटमेन्ट आदेश दिनांक 03.06.92 आदेश क्रमांक भू.अ./92/1599 दिनांक 07.06.92 अनुसार आराजी खसरा नम्बर 502 रकबा 1.00 हैक्ट भूमि हजारी पुत्र हरीराम के नाम अलाटमेन्ट हुई तथा नामान्तकरण संख्या 70 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 502/693 रकबा 1.0 हैक्टयर की गैर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

खातेदारी हजारी पुत्र हरीराम के नाम स्वीकृत हुई है। पूर्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 502/693 रकबा 1.00 हेक्टेयर मूल रूप से गैर मुमकिन नदी की भूमि रही है, इसलिए तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन, नियमन व किस्म परिवर्तन पूर्णतः क्षेत्राधिकार से बाहर एवं विधि विरुद्ध है। अप्रार्थीगण रजिस्डर्ड नोटिस तल्बी के बावजूद न्यायालय में उपस्थित होकर इस आवंटन के पक्ष में कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अब्दुल रहमान बनाम स्ट्रेट ऑफ राजस्थान में अपने निर्णय में यह निर्देश दिये है कि ऐसे सभी आवंटन/नियमन या नियमन से पूर्व की भॉति पुनः राजकीय खाते में गैर मुमकिन जोहड़, नदी, नाला, तालाब दर्ज किया जावें। राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 16 के तहत नदी/नाला/तालाब की भूमि का संरक्षण राज्य का दायित्व है। अतः इस अवैध इंद्राज को हटाया जाना न्यायसंगत है। अतः उपरोक्त निवेचन के आधार एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 502/693, रकबा 1.00 हेक्टेयर, वाके मौजा नौरंगपुरा, तहसील कोटपूतली की भूमि में अप्रार्थी की खातेदारी से हटाई जाकर पुनः भूमि राजकीय खाते मे आवंटन नियमन से पूर्व की स्थति बहाल की जावें यानि भूमि राजकीय खाते मे गैर मु. सिवायचक नदी दर्ज करने एवं अप्रार्थीगण को हुये आवंटन को रदद करने की अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जावें। तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि वह ऐसे समस्त परिर्वतनों की तीन–तीन प्रतिया तैयार कर वास्ते राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 15/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(कोटपूतली-बहरोड़)
कोटपूतली